यह पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशनुसार सिविल जज (सी०डि०), एटा के न्यायालय में स्थानान्तरित की जा चुकी है।

(रजत साहू)
सिविल जज (जू०डि०), एटा
(J.O. Code-UP 3358)

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), एटा</u>

नोटिस
बनाम– संजय यादव,

लिपिक, न्यायिक अभिलेखागार, एटा

माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा वाद संख्या–46/2016 की गुमशुदगी के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच पत्रावली सं०–01/2026 गठित की गयी है। उक्त जाँच पत्रावली में आपका लिखित स्पष्टीकरण आहूत है। जिसके सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी अवसर दिया जा चुका है। अतः ऐसे में आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि आप अन्दर दो दिवस सम्बन्धित रजिस्टरों सहित मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त जाँच में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(रजत साहू)

दिनांक 29.01.2026

जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
एटा

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम– कुलदीप कुमार

तत्कालीन लिपिक, न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष सं०–23, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। चूंकि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में पत्राचार किये जाने पर सत्र लिपिक द्वारा उक्त पत्रावली आपके न्यायालय में भेजी जानी बतायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में आपसे आख्या चाही गयी थी। आपके द्वारा भेजी गयी आख्या से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा उक्त पत्रावली के आपके न्यायालय में लम्बित होने से इन्कार किया गया है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 06.02.2024 को समय 2.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)

दिनांक 06.02.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),

जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम– उमेश गौतम,

तत्कालीन लिपिक, न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष सं०–23, एटा

वर्तमान लिपिक–अपर सिविल जज (जू०डि०) क०सं०–24, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। उक्त जांच में कुलदीप कुमार, तत्कालीन लिपिक अपर सिविल जज (जू०डि०) क०सं०–23, एटा के साक्ष्य में आपसे पूछताछ किये जाने का उल्लेख आया है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 08.02.2024 को समय 2.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 08.02.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम– कमलकान्त,

रीडर, न्यायालय अपर जिला जज (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम), एटा

परिवाद सं०-501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। उक्त पत्रावली सत्र लिपिक द्वारा वर्तमान न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) क०सं०-23, एटा को भेजी जानी बतायी गयी है। उक्त न्यायालय मे कार्यरत रहे लिपिक उमेश गौतम ने अपने साक्ष्य में खुद से पूर्व आपके कार्यरत होने का उल्लेख किया है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 20.02.2024 को समय 4.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)

दिनांक 20.02.2024

जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

नोटिस बनाम– संजय यादव,
रिकॉर्ड कीपर, जनपद न्यायालय, एटा।

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। जिसमें साक्षी कमलकान्त यादव, रीडर, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), एटा द्वारा अपने साक्ष्य में अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०–23, एटा में प्रतिनियुक्ति के दौरान न्यायालय प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, एटा के दाखिल दफ्तर किये गये रजिस्टरों की सूची संलग्न की है। चूंकि उक्त पत्रावली सत्र लिपिक द्वारा उक्त पत्रावली दिनांक 01.07.1987 को न्यायालय प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजी जानी बतायी गयी है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप सूची में वर्णित न्यायालय प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, एटा के वर्ष 1986 के उपरान्त के दाखिल दफ्तर रजिस्टरों (सूची संलग्न) को मेरे समक्ष आज दिनांक 29.02.2024 को सांय 4.00 बजे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 29.02.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम– रूबी,
वाद लिपिक, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365, 368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। उक्त पत्रावली में साक्षी कमलकान्त यादव, रीडर, अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), एटा द्वारा अपने साक्ष्य में अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष सं०–23, एटा में स्वंय की प्रतिनियुक्त से पूर्व आपकी प्रतिनियुक्त होना बतायी गयी है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 29.02.2024 को समय 4.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 29.02.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम–
दाण्डिक लिपिक, न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार दिनांक 03.07.1987 को उक्त पत्रावली अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा के न्यायालय को प्राप्त करायी गयी थी।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 07.03.2024 को समय 4.00 बजे मय अभिलेख मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 07.03.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम–
अंकित जयसवाल, लिपिक, न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार दिनांक 03.07.1987 को उक्त पत्रावली न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा के न्यायालय को प्राप्त करायी गयी थी।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 21.03.2024 को समय 4.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 21.03.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम–
द्वितीय लिपिक प्रशासनिक कार्यालय,
जनपद न्यायालय, एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी, उक्त पत्रावली प्रथम न्यायिक मुंसिफ मजिसिट्रेट, एटा के न्यायालय के दाखिल दफ्तर प्रपत्र सं०–9 के अनुसार न्यायालय प्रथम न्यायिक मुंसिफ मजिसिट्रेट, एटा से न्यायालय प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा के कार्यालय को दिनांक 03.07.1987 को प्राप्त करायी गयी थी। वर्तमान में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०) में कार्यरत लिपिक द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में यह न्यायालय प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा के रूप में कार्यरत नहीं है।

अतः ऐसे में आप अन्दर 02 दिवस यह सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करें कि वर्तमान में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा किस न्यायालय के रूप में कार्यरत है, जिससे कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी की जा सके।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 23.04.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम–
टीना यादव, लिपिक, न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार दिनांक 03.07.1987 को उक्त पत्रावली न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), एटा के न्यायालय को प्राप्त करायी गयी थी।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप कल दिनांक 03.05.2024 को समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 02.05.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

अनुस्मारक

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

द्वितीय लिपिक प्रशासनिक कार्यालय,
जनपद न्यायालय, एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। प्रथम न्यायिक मुंसिफ मजिस्ट्रेट, एटा के प्रपत्र सं०–9 के अनुसार उक्त पत्रावली दिनांक 03.07.1987 को प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा के कार्यालय को प्राप्त करायी गयी थी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अन्दर 02 दिवस यह बताया जाना सुनिश्चित करें कि वर्तमान में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), एटा किस न्यायालय के रूप में कार्यरत है, जिससे कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी की जा सके।

(आशुतोष खरवार)
जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

दिनांक 16.05.2024

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

द्वितीय लिपिक प्रशासनिक कार्यालय,
जनपद न्यायालय, एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित प्रारम्भिक जाँच में मेरे द्वारा साक्षी टीना यादव, सत्र लिपिक, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्य प्रभावित क्षेत्र) का साक्ष्य अंकित किया गया। उक्त साक्षी के साक्ष्य में आया है कि "परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987) श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला की पत्रावली अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। आदेश दिनांकित 25.02.1987 (संलग्नक) के अनुसार माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा, माननीय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के रूप में नियुक्त किये गये थे और वह न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के प्रभारी भी रहे थे, जिन्हें थाना कासगंज, अमापुर, अवागढ व सिढपुरा के दस्यु प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय माननीय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी है, जिसका उल्लेख अभिलेखागार के प्रपत्र सं०–9 में अंकित है।"

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अन्दर 02 दिवस मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया जाना सुनिश्चित करें कि उक्त थाना अवागढ की दस्यु प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावली माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के उपरान्त किन–किन न्यायालयों को प्राप्त करायी गयीं थीं, जिससे कि उक्त जाँच में कोई अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 01.06.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

संलग्नक–आदेश दिनांकित 25.02.1987

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

द्वितीय लिपिक प्रशासनिक कार्यालय,
जनपद न्यायालय, एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित प्रारम्भिक जाँच में मेरे द्वारा साक्षी टीना यादव, सत्र लिपिक, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्य प्रभावित क्षेत्र) का साक्ष्य अंकित किया गया। उक्त साक्षी के साक्ष्य में आया था कि "परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987) श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला की पत्रावली अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। आदेश दिनांकित 25.02.1987 (संलग्नक) के अनुसार माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा, माननीय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के रूप में नियुक्त किये गये थे और वह न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के प्रभारी भी रहे थे, जिन्हें थाना कासगंज, अमापुर, अवागढ व सिढपुरा के दस्यु प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय माननीय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी, जिसका उल्लेख अभिलेखागार के प्रपत्र सं०–9 में अंकित है।"

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको पत्र दिनांकित 01.06.2024 प्रेषित कर थाना अवागढ की दस्तु प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियाँ माननीय न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के उपरान्त किन–किन न्यायालयों को प्राप्त करायी गयीं थीं, के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी थी, जिस पर आख्या प्राप्त हुई थी कि आशीष कुमार माथुर, द्वितीय प्रशासनिक लिपिक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर हैं। चूंकि अब सभी कर्मचारीगण के ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या अन्दर 02 दिवस इस न्यायालय को भिजवायी जानी सुनिश्चित करें। ताकि उक्त जाँच को अग्रसारित किया जा सके।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 05.07.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

संलग्नक–आदेश दिनांकित 25.02.1987

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम–
वरिष्ठ लिपिक, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्ययाशीश,
कक्ष सं०–7 एटा

परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987), श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी है। जिसमें अभिलेखागार से आहूत प्रपत्र सं०–9 के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। आदेश दिनांकित 25.02.1987 के अनुसार माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा, माननीय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के रूप में नियुक्त किये गये थे और वह न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा के प्रभारी भी रहे थे, जिन्हें थाना कासगंज, अमापुर, अवागढ व सिढपुरा के दस्यु प्रभावित क्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावलियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ था। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यालय से आहूत आख्यानुसार वर्तमान में न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा का अपर जिला एटा सत्र न्याय़ाधीश, कक्ष सं०–7, एटा एवं अपर जिला एटा सत्र न्याय़ाधीश, कक्ष सं०–8, एटा के रूप में कार्यरत होना बताया गया है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आपके न्यायालय को न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा से सम्बन्धित प्राप्त रजिस्टरों का अवलोकन कर कल दिनांक 09.07.2024 को समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

दिनांक 08.07.2024

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम–संयम श्रीवास्तव,
लिपिक, न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। जाँच में आये साक्ष्य के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8 के रूप में कार्यरत है। मेरे द्वारा सम्बन्धित कोर्ट में नियुक्त लिपिक शालिनी पाल का साक्ष्य अंकित किया गया है, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें पूर्व लिपिक द्वारा पत्रावली से सम्बन्धित रजिस्टर प्राप्त न कराया जाना बताया गया है।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 08.08.2024 को समय 4.30 बजे आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 08.08.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम–वीरेन्द्र आनन्द,
लिपिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर),
कक्ष सं०–2, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। जाँच में आये साक्ष्य के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8 के रूप में कार्यरत है। मेरे द्वारा उक्त कोर्ट में पूर्व में कार्यरत लिपिक श्री संयम श्रीवास्त का साक्ष्य अंकित किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें पूर्व लिपिक वीरेन्द्र आनन्द द्वारा कोई रजिस्टर प्राप्त नहीं कराया गया था।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 16.08.2024 को आपको उक्त न्यायालय में कार्यरत होने के समय प्राप्त कराये गये रजिस्टरों की सूची व उक्त पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर अगर कोई हो तो, समय 4.30 बजे आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 16.08.2024 — जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

नोटिस बनाम–नदीम अख्तर
, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। जाँच में आये साक्ष्य के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8 के रूप में कार्यरत है। मेरे द्वारा उक्त कोर्ट में पूर्व में कार्यरत लिपिक श्री संयम श्रीवास्त का साक्ष्य अंकित किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उन्हें पूर्व लिपिक वीरेन्द्र आनन्द द्वारा कोई रजिस्टर प्राप्त नहीं कराया गया था।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 16.08.2024 को आपको उक्त न्यायालय में कार्यरत होने के समय प्राप्त कराये गये रजिस्टरों की सूची व उक्त पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर अगर कोई हो तो, समय 4.30 बजे आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 16.08.2024 जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा

नोटिस बनाम–संदीप गुप्ता
न्यायालय, अपर सिविल जज(जू०डि०),
कक्ष सं०–22, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365, 368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। जाँच में आये साक्ष्य के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8 के रूप में कार्यरत है। मेरे द्वारा उक्त कोर्ट में पूर्व में कार्यरत लिपिक वीरेन्द्र कुमार आनंद का साक्ष्य अंकित किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उससे पूर्व उक्त न्यायालय में नदीम अख्तर के साथ संदीप गुप्ता कार्यरत थे।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 09.09.2024 को आपको उक्त न्यायालय में कार्यरत होने के समय प्राप्त कराये गये रजिस्टरों की सूची व उक्त पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर अगर कोई हो तो, समय 4.30 बजे आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 09.09.2024
जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

<u>कार्यालयः सिविल जज (जू०डि०), जलेसर, एटा</u>

नोटिस बनाम–नदीम अख्तर
केन्द्रीय अभिलेखागार, जनपद, एटा

परिवाद सं०–501/2022, श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, अन्तर्गत धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा से सम्बन्धित मूल पत्रावली के न मिलने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपरोक्त के बावत प्रारम्भिक जाँच गठित की गयी थी। जाँच में आये साक्ष्य के अनुसार उक्त पत्रावली न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एटा को प्राप्त करायी गयी थी। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में उक्त न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–8 के रूप में कार्यरत है। मेरे द्वारा उक्त कोर्ट में पूर्व में कार्यरत लिपिक वीरेन्द्र कुमार आनंद का साक्ष्य अंकित किया गया, जिसमें उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि उससे पूर्व उक्त न्यायालय में नदीम अख्तर के साथ संदीप गुप्ता कार्यरत थे।

अतः ऐसे में आपको आदेशित किया जाता है कि आप आज दिनांक 09.09.2024 को आपको उक्त न्यायालय में कार्यरत होने के समय प्राप्त कराये गये रजिस्टरों की सूची व उक्त पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित कर अगर कोई हो तो, समय 4.30 बजे आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष खरवार)
दिनांक 09.09.2024
जाँच अधिकारी/सिविल जज (जू०डि०),
जलेसर, एटा

(Top Priority)

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जलेसर, एटा।

जाँच संख्या -02/2024

नोटिस बनाम-अभियुक्तगण

1. रमाकान्त पुत्र जगदीश प्रसाद
2. जगदीश पुत्र गीतम सिंह
3. श्रीमती शीला देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
4. श्रीमती ह्रदेश कुमारी पत्नी गयाप्रसाद
5. ग्याप्रसाद पुत्र जौहरीलाल
समस्त निवासीगण लोहियानगर, फिरोजाबाद, थाना उत्तर फिराजोबाद, जिला फिरोजाबाद

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, जनपद न्यायालय, एटा द्वारा परिवाद सं०-501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987) श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने पर उक्त न्यायिक जाँच 02/2024 गठित कर उक्त पत्रावली को पुनर्गठित करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप या आपके विधिक वारिसान से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उक्त परिवाद पत्रावली के सम्बन्धित समस्त प्रपत्र जो भी आपके पास हों, किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 07.11.2024 तक न्यायालय आकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त पत्रावली से सम्बन्धित लम्बित तितम्मा का निस्तारण कर उक्त परिवाद पत्रावली का पुनर्गठन किया जा सके।

दिनांकः- 21.10.2024 **(आशुतोष खरवार)**
सिविल जज (जू०डि०)/जलेसर, एटा

प्रापक,

थाना प्रभारी,
थाना अवागढ, जिला एटा

आपके थानाक्षेत्र से सम्बन्धित पत्रावली परिवाद सं०–501/2022 (प्राचीन नम्बर 454/1987) श्याम सुन्दर बनाम रमाकान्त, धारा 365,368 भा०दं०सं०, थाना अवागढ, जिला एटा की मूल पत्रावली के न मिलने व इस न्यायालय में उक्त पत्रावली के सम्बन्धित तितम्मा के लम्बित होने के कारण माननीय जनपद न्यायाधीश न्यायाधीश, एटा द्वारा न्यायिक जाँच 02/2024 गठित कर उक्त पत्रावली को पुनर्गठित करने हेतु आदेशित किया गया है।

मेरे द्वारा पूर्व में उक्त पत्रावली से सम्बन्धित पक्षकार परिवादी व अभियुक्तगण के विरुद्ध आदेशिकाएँ दिनांकित 01.10.2024 निर्गत की गयीं थी। परिवादी के विरुद्ध निर्गत आदेशिका उसकी मृत्यु आख्या के साथ वापस इस न्यायालय को प्राप्त हुई है, परन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध निर्गत आदेशिकाएं तामीलशुदा अथवा गैर तामीलशुदा इस न्यायालय को वापस प्राप्त नहीं हुई है। जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप इस पत्र के साथ संलग्नित प्रस्तुत परिवाद के अभियुक्तगण को निर्गत नोटिसों को प्रत्येक स्थिति में तामील कराया जाना सुनिश्चत करें। ताकि उनके पास यदि उक्त परिवाद पत्रावली से सम्बन्धित कोई प्रपत्र हो तो वह दिनांक 07.11.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में न्यायालय हाजिर होकर प्रपत्र न्यायालय में दाखिल कर सके, जिससे कि उक्त पत्रावली को पुनर्गठित कर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश का अनुपालन किया जा सके।

(आशुतोष खरवार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा

दिनांक 21.10.2024